

1 अनुवांशिक शुद्धता :-

प्रत्येक प्रमाणित बीज लाट,की आधार एवं प्रमाणित श्रेणी की अनुवांशिक शुद्धता निर्धारित भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानकों के अनुसार होगी।

1.1 भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानकों में अनुवांशिक शुद्धता के प्रावधान निर्धारित है। तदनुसार संकर फसलों का ग्रो-आऊट परीक्षण अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त संस्था द्वारा निर्धारित अन्य फसल किस्मों के आधार बीज लाटों का ग्रो-आऊट परीक्षण भी कराना होगा। आवश्यक होने पर प्रमाणीकरण संस्था किसी भी लाट या लाटों का अनुवांशिक शुद्धता परीक्षण कराएगी तथा बीज उत्पादक/बीज उत्पादक संस्था को इसके लिए निर्धारित शुल्क अतिरिक्त देना होगा तथा मानकों के अनुरूप परिणाम आने पर ही प्रमाणीकरण किया जाएगा। अनुवांशिक शुद्धता परीक्षण हेतु संस्था के योग्य अधिकारी/अधिकारियों एवं संबंधित फसल प्रजनक/वैज्ञानिकों को सम्मिलित करते हुए प्रबंध संचालक एक समिति गठित करेंगे।

1.2 निरीक्षण समिति का गणना प्रतिवेदन, ग्रो-आउट परीक्षण, प्रक्षेत्र प्रबंधक द्वारा अगले कार्यकारी दिवस में ही मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के मुख्यालय भेजा जावेगा। उसकी डिकोडिंग कर यथाशीघ्र परिणाम पुनः बीज प्रमाणीकरण संस्था के संबंधित संभागीय कार्यालय को भेज दिया जाएगा। जो संबंधित उत्पादक/संस्था को सूचित करेंगे।

2- बीज लाट :-

एक बीज लाट भौतिक रूप से अलग पहचानने योग्य वह मात्रा है, जो एक रूप है।

3- बीज लाट का आकार :-

3.1 एक बीज लाट की अधिकतम सीमा, विभिन्न फसलों हेतु भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानक परिशिष्ट-टप्प में निर्धारित मात्रा से अधिक नहीं होगी। उत्पादक के खेत से प्राप्त कुल बीज मात्रा यदि निर्धारित मात्रा से अधिक हो तो उसे दो या अधिक असंसाधित बीज लाट में विभाजित कर अलग-अलग लाट क्रमांक की सीरीज जैसे 01(प),01(पप),01(पपप) आवंटित की जाकर लाट का अलग-अलग संसाधन किया जावेगा।

3.2 ऐसे प्रत्येक लाट के नमूनों के परीक्षण हेतु बीज उत्पादक/उत्पादक संस्था का लाट संख्या अनुसार परीक्षण शुल्क देना होगा।

4- **बीज का प्रमाणीकरण :-**

बीज प्रमाणीकरण संस्था की सहमति से प्रक्रियाकृत बीज उन बोरो/थैलों/डिब्बों में सीधा भरा जा सकता है जिनमें वह विक्रय किया जाता है अथवा बीज परीक्षण परिणाम आने तथा बीजोपचार तक अस्थायी तौर पर बड़े थैलों/बोरो में भी भरा जा सकता है। जिन थैलो/बोरो/डिब्बों में बीज अंततः प्रमाणीकरण कराया जाएगा उसका माप आकार,रंग तथा अन्य गुण एवं निर्धारित लेबल बीज उत्पादक संस्था द्वारा बीज प्रमाणीकरण संस्था के संबंधित बीज प्रमाणीकरण अधिकारी को प्रस्तुत कर पूर्व अनुमोदन कराया जावेगा। पैकिंग मटेरियल के संबंध में बीज प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा की गई अनुशंसाओं के संबंध में पालन करना अनिवार्य होगा।

- 4.1 पुराने बोरो/थैलों/डिब्बों आदि जो एक बार उपयोग हो चुके हो उनमें पुनः प्रमाणित बीज भरकर टैग लगाने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 4.2 बोरो/थैलों/डिब्बों पर प्रमाणीकरण टैग एवं मुहर लगाये जाने की सुविधा होना चाहिए।
- 4.3 मुहरबंद करते समय संबंधित बीज लाट में निर्धारित आर्द्रता/स्तर होना आवश्यक है।
- 4.4 भारत सरकार द्वारा लेबल हेतु निर्धारित विवरण अनुरूप जानकारी पैकिंग/टैगिंग हेतु उपयोग किये जा रहे थैलों/बोरियों पर दर्शाया जाना अनिवार्य होगा।
- 4.5 बीज उत्पादक संस्था के उद्देश्यपूर्ण अनुरोध पर किसी बीज लाट की पैकिंग साईज सामान्य से कम करने की अनुमति बीज प्रमाणीकरण अधिकारी दे सकेगे। पैकिंग साईज सामान्यतः प्रति एकड़ बीज दर के अनुरूप होगी।

- 4.6 किसी भी उत्पादक संस्था प्रमाणित बीज की पैकिंग हेतु उपयोग की जाने वाली बोरियों पर कोई भ्रामक वाक्य/शब्द अंकित नहीं किया जावेगा।
- 4.7 बीज उत्पादक संस्था द्वारा पंजीकृत बीज प्रक्रिया केन्द्र जिस पर संसाधन कार्य संपादित किया गया है, के परिसर के बाहर स्थित अन्यत्र भण्डार गृह पर मानक स्तरीय बीज का पैकिंग/टैगिंग कराना चाहती है, तो उसे निर्धारित स्पॉट टैगिंग शुल्क देना होगा।